


29.6' 18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत पांयला कला में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल हो। विप्रार्थीगण बावजुद सूचना के अनुपस्थित होने के कारण उनके विरुद्ध एकरतफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी, म्णधरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ.) सिणधरी

(लोक अदालत केंद्र-अटल सेवा केंद्र पांयला कला)
पीठासीन अधिकारी-श्री नाथुसिंह राठौड़, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.98/2017

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.धनाराम		1.गुलाबसिंह
2.पुनमाराम पिसरान ताजाराम		2.जीवराजसिंह
जाति जाट निवासी पांयला कला		3.वागसिंह पिसरान किशोरसिंह
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		4.मानाराम पुत्र वगताराम
		5.केहनाराम पुत्र भेराराम
		6.भादाराम पुत्र जगाराम जाति रबारी
		निवासी पांयला कला तहसील सिणधरी
		व जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

- 1 श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी स.1 से 6 एकरतफा।

आदेश

दिनांक-29.6.17

1. संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 612/1 रकबा 20-15 बीघा व खसरा संख्या 612 रकबा 20-15 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का श्रान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील



उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

सिणधरी की खेत खसरा संख्या 612/1 रकबा 20-15 बीघा व खसरा संख्या 612 रकबा 20-15 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से करवाई गई थी। तत्पश्चात विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।


3. वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 612/1 रकबा 20-15 बीघा व खसरा संख्या 612 रकबा 20-15 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 612/1 रकबा 20-15 बीघा व खसरा संख्या 612 रकबा 20-15 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, सलंगन दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 612/1 रकबा 20-15 बीघा व खसरा संख्या 612 रकबा 20-15 बीघा भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है, जो पत्रावली के सलंगन विवादित भूमि संवत् 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल होने के हाजिर नही हुए हैं, इससे प्रतीत होता है, कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति नही होगी। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है।




अखण्ड अधिकारी, सिणधरी

3. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पांयला कला पटवार क्षेत्र पांयला कला तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 612/1 रकबा 20-15 बीघा व खसरा संख्या 612 रकबा 20-15 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिशनर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।


29/6/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 29/6/12 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।


29/6/12
(नाथूसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

